न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/77 **दायरा दिनांक : 10.06.2024**

उनवान

1. आदि गौड ब्राहमण पंचायत सारोलाकलां संस्थापक लोकेश पुत्र राधेश्याम, जाति ब्राहमण, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान)
2. आदिनाथ गौड ब्राहमण पंचायत सारोलाकलां संस्थापक लोकेश पुत्र राधेश्याम, जाति ब्राहमण, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान)

.... अपीलांट

बनाम

1. मुकुट बिहारी पुत्र भैरूलाल, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान)
2. रामबाबू पुत्र भैरूलाल, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान)
3. रामेश्वर पुत्र भैरूलाल, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान)
4. परमानन्द पुत्र रामकिशन, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान)
5. धनराज पुत्र रामकिशन, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान)
6. बदाम बाई पुत्री भैरूलाल, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान)
7. मांगीबाई पत्नी मुकुटबिहारी, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान)
8. कलावती बाई पत्नी रामेश्वर, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान)
9. दाखां बाई पत्नी रामबाबू, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान)
10. राजस्थान सरकार भू स्वामी जर्ये तहसीलदार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अमर कृष्ण शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2, 5 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 03.12.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 638/प्रार्थना पत्र/2022 निर्णय दिनांक 22.05.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खतौनी संख्या नई 726 पुरानी 690 खसरा नं. 981 रकबा 0.6637 हेक्टर वाके ग्राम सारोलाकलां, तहसील खानपुर प्रार्थीगण 1 लगायत 6 व सुखीबाई के खाते कब्जे काश्त की है। इसी प्रकार आराजी खतौनी संख्या नई 265 पुरानी 241 खसरा नं. 980 रकबा 0.8013 हेक्टर वाके ग्राम सारोलाकलां, तहसील खानपुर प्रार्थीगण 7 लगायत 9 के खाते कब्जे काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 22.05.2024 से प्रार्थीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय जेर अपील विधिक संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों एवं स्थापित कानून के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 9 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ राजस्थान टीनेन्सी एक्ट स्वीकार फरमाकर तहसीलदार खानपुर को आदेश दिया कि डी.एल.सी. क्लोज (6) सबरूल 1 का रूल 2 स्टाम्प रूल 2004 के अनुसार प्रचलित डी. एल.सी. की दुगुनी राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थी कम 1 (अपीलांट कम 2)को अदा करने पर इनके खाते की ग्राम सारोलाकलां, तहसील खानपुर की आराजी खसरा नं. 984 की दक्षिण मेड से खसरा नं. 981 तक 12 फीट रास्ते में से 12 x 588 = 6336 वर्गफीट अर्थात 0.0588 हैक्टर भूमि नजरी नक्शे के अनुसार आराजी में आने जाने व कृषि यंत्र ले जाने हेतु रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में तरमीम किये जाने का निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया है कि आराजी खसरा नं 984 ग्राम सारोलाकलां अपीलांट कम 2 के खातेदारी की आराजी नहीं है। आराजी खसरा नं. 984 अपीलांट कम 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसे पक्षकार बनाये बिना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियमों का उल्लंघन कर केवल मात्र पटवारी द्वारा तैयार रिपोर्ट पर तहसीलदार खानपुर के काउंटर साईन की प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 9 का अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नं. 980, 981 में आने जाने व हल कूली, ट्रेक्टर ट्रोली कृषि सीन्स लाने व ले जाने का वैकल्पिक व लघुत्तम रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 9 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं था। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सर्वथा अवैध, त्रुटिपूर्ण, मनमाना व अधिकार विहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(दीपक रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 9 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलांट कम 1 के स्थान पर गलत नाम अंकित करते हुए अपीलांट कम 2 को पक्षकार बनाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि आराजी खसरा नं. 984 वाके ग्राम सारोलाकलां अपीलांट कम 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसे रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 9 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया और गलत नाम से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.05.2024 जिस भूमि खसरा नं. 984 वाके ग्राम सारोलाकलां के संबंध में पारित किया है, वह भूमि अपीलांट कम 1 की रिकार्डेड व खातेदारी व कब्जे की भूमि है जिस पर अपीलांट कम 1 निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आलौच्य निर्णय से उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदारान के हित व अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण अपीलांट कम 1 उक्त आलौच्य निर्णय से एग्रीव्यड प्रसन्न है और अपीलांट कम 1 के हित व अधिकार की सुरक्षा व न्याय प्राप्ति के लिए माननीय न्यायालय की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलांट कम 1 के अपील विषय आराजी में हित निहित है व अपीलांट कम 1 के हित व अधिकार प्रभावित हो रहे हैं जिसके संबंध में अपीलांट द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2024 निरस्त किये जाने एवं रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 9 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी. पी. सी. स्वीकार किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नं धारा 251 ए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। खसरा नं. 981 रेस्पोडेंट नं. 1 ता 6 व खसरा नं. 980 रेस्पोडेंट नं. 7 ता 9 के खाते दर्ज है, जो खसरा नं. 153 से खसरा नं. 984 की दक्षिणी मेड से होकर अपने खेत पर जाते है। यह वादी रेस्पोडेंट का कथन है। खसरा नम्बर 981 व खसरा नं. 980 पर जाने का दूसरा रास्ता उपलब्ध है जिसका उल्लेख जवाब प्रार्थना पत्र में हमने किया है इसके अतिरिक्त एक अन्य रास्ता भी वादी रेस्पोडेंट के पास उपलब्ध है। खसरा नं. 984 की भूमि अपीलांट नं. 1 की खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। आदिनाथ गौड ब्राहमण पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया इसी कारण धारा 96 सी. पी. सी. के साथ अपील प्रस्तुत की है। नाम में अन्तर है। रिपोर्ट दोनों पक्षों की उपस्थिति में बनायी जाएगी, तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट में काउंटर हस्ताक्षर किये हैं। दिनांक 31.07.2023 की पंचायत की रिपोर्ट हमने पेश की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाये। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में RRT 2016-17(SUP) PAGE 597, RRT 2016-17(SUP) PAGE 677, RRT 2018-19(SUP) PAGE 404, RRT 2020 (2) PAGE 979, RRT 2022 (1) PAGE 693, RRT 2022-23 (SUP) PAGE 413, RRT 2017(1) PAGE 415, RRT 2021 (2) PAGE 1369 की नजीरें उद्धरत की।

(दीपक रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा किया था जो खारिज हुआ। अपीलांट हमें अपने खाते की आराजी से रास्ता नहीं दे रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार राशि जमा करवा कर रास्ता लेना चाहते हैं। अतः अपील खारिज की जाये।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 सी. पी. सी. स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों, न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.05.2024 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। प्रस्तुत अपील में एवं दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि आराजी खसरा नं. 984 ग्राम सारोला कलां अपीलांट कम 2 के खातेदारी की आराजी नहीं है। जिसे दावे में अप्रार्थी कम 1 के रूप में पक्षकार बनाया गया था। जबकि आराजी खसरा नं. 984 अपीलांट कम 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसे दावे में पक्षकार बनाये बिना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत निर्णय जैर अपील पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से होती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के साथ सलंग्न जमाबंदी संवत 2074–2077 की खाता संख्या नया 26 पुराना 23 के अनुसार अपीलांट कम 1 ही खसरा नं. 984 के रिकॉर्डेड खातेदार है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.05.2024 से खसरा नं. 984 की आराजी में से ही प्रार्थी रेस्पोडेंट 1 लगायत 9 को उनकी आराजी खसरा नं. 980, 981 में जाने हेतु रास्ता कायम करने का निर्णय पारित किया है। किसी रिकॉर्डेड खातेदार को पक्षकार बनाये बिना और सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2024 नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट कम 1 को संदर्भित वाद में पक्षकार बनाकर सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.01.2025 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 03/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा